कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/शिविर/ 206 /2016–17 दिनांक 30 जुलाय, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) के नियम भाग–5 (3)–17 (1) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूडकी के विज्ञापन संख्या–5600/उप्राशिप/एल0टी0भर्ती/2014 दिनांक 23–02–2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या–5611 दिनांक 25–02–2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0–सेवा–2/708–11/2016–17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूडकी के विज्ञापन संख्या–7109/उप्राशिप/एल0टी0भ0च0प0/2016–17 दिनांक 02–05–2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं–2/12255/समायो0/2016–17 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के अनुक्रम मेंनिम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (9300–34800) ग्रेड वेतन–4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय – सामान्य (सामान्य शाखा) 10 प्रतिशत

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	धनेन्द्र सिंह	श्री महेन्द्र सिंह रावत	ग्राम–कोडी,पो0–पन्तवाड़ी तह0–नैनबाग, जौनपुर, जिला–टिहरी गढ़वाल, पिन–249186	अन्य पि0जाति –	5-Jun-1979	टिहरी गढ़वाल	एमए बीएड	118.50	रा0उ0मा0वि0 चूनाघाट चम्पावत
2	राजेन्द्र प्रसाद	श्री नारायण राम	ग्रा0–भुमकिया, पो0आ0–द्वाराहाट, जिला–अल्मोड़ा पिन–263653	अनु0जाति	11-Nov-1975	अल्मोड़ा	बीए बीएड	112.50	रा0इ0का0 असगोली, अल्मोड़ा
3	निहारिका आर्या	श्री नरी राम आर्या	टावर्स कम्पाउन्ड, पो0 मल्लीताल, नैनीताल	अनु0जाति महिला	5-Nov-1975	नैनीताल	एमए बीएड	104.00	रा0इ0का0 धानाचूली नैनीताल

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूडकी हरिद्वार।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम मे नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) मे निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–सामान्य विषय हेतु भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि परन्तु उक्त दो विषयों मे से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप मे निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड)– निःशक्तता की स्थिति मे निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम मे अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं..............................पद..................विद्यालय..............................एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0..............................पद.................. विषय.................. को दिनांक..................के पूर्वान्ह/अपरान्ह मे कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष..............................
पूरा नाम..............................
पद एवं सील..............................

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं..............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....सहायक अध्यापक..............................विद्यालय..............................एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित..............................
संस्थाध्यक्ष..............................

हस्ताक्षर..............................
नाम..............................
पदनाम..............................
विद्यालय..............................